संख्या-६९/2016/1997/बावन-1-2016-22(एम०एस०डी०पी०)/16

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 23 अगस्त, 2016

विषय- 12वीं पंचवर्षीय योजना में दिनांक 20.08.2013 को 69वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-मुरादाबाद के 06 विकास खण्डों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29 कम्प्यूटर लैब की स्थापना के बारे में लागत वृद्धि की अतिरिक्त धनराशि को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(12)/2012-पी0पी0, दिनांक 20.09.2013 के क्रम में जारी शासन के पत्र संख्या-जी०आई० 80/52-1-14-01(120)/13, दिनांक 20 फरवरी, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत योजना के निर्माण हेतु **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए धनराशि की **प्रथम किश्त** की धनराशि रू० 111.925 लाख अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2014 के माध्यम से अवमुक्त धनराशि रू० 7.72 लाख की इकाई लागत स्वीकृत की गयी थी । विचारोपरान्त उक्त कार्य हेतु इकाई लागत रू० 8.18 लाख स्वीकृत करते हुए परियोजना हेतु स्वीकृत कुल धनराशि के सापेक्ष लागत वृद्धि की धनराशि रू० 13.34 लाख राज्यांश के रूप में कार्यदायी संस्था को प्रदान करते हुए कार्य पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया है । अत: प्रश्नगत कार्य हेतु कुल धनराशि रू० 13,34,000/- (रू० तेरह लाख चौंतीस हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित बजट रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू0 965.02 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

http://shasanadesh.up.nic.in

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त (के०+रा०)	अवमुक्त अतिरिक्त इकाई लागत की धनराशि		अवमुक्त कुल धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुरादाबाद	जनपद-मुरादाबाद के विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा, मुण्डापाण्डेय, मुरादाबाद, डिंगरपुर, भगतपुर टांडा एवं छजलैट के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29 कम्प्यूटर लैब की स्थापना	29	8.18 (संशोधित)	167.91	55.97	111.925	0.00	13.34	13.34
		योग								13.34

1- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को 06 माह में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-मदों पर ही व्यय किया जायेगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक, के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत परियोजना हेतु भविष्य में कार्यदायी संस्था को कोई लागतवृद्धि की धनराशि नही दी जायेगी तथा अवमुक्त धनराशि के द्वारा ही उसे निर्माण कार्य पूर्ण कराना होगा ।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-समाज कल्याण- 800-अन्य व्यय- 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0107-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय प्राइमरी स्कूलों का भवन निर्माण एवं अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण (के0 75/रा0 25-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य** के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 एवं शासनादेश संख्या-बी-2-

http://shasanadesh.up.nic.in

2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.8.2014 के प्रस्तर-7 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

5- इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-जी०आई० 80/52-1-14-01(120)/13, दिनांक 20 फरवरी, 2014 द्वारा लगायी गयी शर्तें यथावत् रहेंगी ।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-1997(1)/बावन-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत 06 विकास खण्डों के प्राथमिक स्कूलों/उच्च प्राथमिक स्कूलों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्राथमिक स्कूलों/उच्च प्राथमिक स्कूलों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद ।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।
13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14- गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in